



70

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्र. / 2013

R. 3123 - 11113

Sh R.D. R1m
द माल क1
द 12 12
Sharma
13/11/13

R/M

1. सुनील कुमार पिता जगन्नाथ सिंह
2. ओमप्रकाश पिता जगन्नाथ सिंह गोंड
3. आदित्य सिंह पिता जगन्नाथ सिंह
4. अनुराग सिंह पिता जगन्नाथ सिंह
निवासीगण ग्राम जुड़वार तहसील देवसर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

बटूसन पिता लुकावन गोड पत्नी रामदेव
सिंह गोड निवासी ग्राम पचुआर तहसील
देवसर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

..... अनावेदिका

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी देवसर जिला सिंगरौली
द्वारा प्रकरण कमांक 76/ अपील / 12-13 में पारित
आदेश दिनांक 14.5.2013 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व
संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।

Sharma
13-8-13

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- 1- यह कि, विवादित भूमि स्थित मौजा जुड़वार तहसील देवसर जिला सीधी पर तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 31.12.2002 द्वारा आवेदकगण की मां

Handwritten signature/initials.

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -

R-3123-तीन/13

जिला -

सिंगरौली

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी.....S.OO..... के प्रकरण क्रमांक ...76/सिंगरौली/12-13... में पारित आदेश दिनांक 14.5.13... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु सिंगरौली को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.19 को सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	